

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

ग्रामीण क्षेत्रों में साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय
हेतु वितरक नियुक्ति
हेतु आवेदन प्रपत्र
वर्ष 2024-27



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

मक्सी रोड डेयरी प्लांट, उज्जैन-456010

दूरभाष - 2527061, 2527068, 2527066



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मकसी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन-456010 (म.प्र.)

दूरभाष - 0734-2527068, फेक्स नं. 2527063

दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक कार्य हेतु द्वितीय अल्पकालीन आवेदन आमंत्रण सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में साँची पैकड दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक कार्य हेतु भौतिक रूप से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) आवेदनकर्ता इस कार्य के नियम, शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से प्राप्त कर सकते हैं। वितरक नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1	आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 27.12.2024 को www.sanchidairy.com से समय 12:00 से।
2	आवेदन प्रपत्र भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 02.01.2025 समय 01:00 बजे तक, उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय उज्जैन
3	आवेदन प्रपत्र के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय उज्जैन में दिनांक 02.01.2025 एवं समय 02:00 बजे
4	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रु.10,000/- (राशि रु. दस हजार मात्र)

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी आवेदनकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा फिर आवेदन पत्र में वितरक कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन पत्र के क्रय मूल्य रु.500/- की एम.आर. / डीडी / बैंकर्स चेक सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर उज्जैन दुग्ध संघ में यथा ईएमडी राशि सहित भौतिक रूप से जमा करें। प्राप्त आवेदन प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परिक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् वितरक नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। एक स्थान के लिये एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी प्रक्रिया द्वारा वितरक कार्य हेतु चयन किया जाएगा।

वितरक की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर वितरक का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक-एक वर्ष निरंतर अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाए जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय उज्जैन के पास निहित होगा।

यदि आवेदन में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गयी मुख्यालय की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित आवेदन प्रपत्र का कार्यक्रम प्रपत्रों की जानकारी

1	आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 27.12.2024 को www.sanchidairy.com से समय 12:00 से।
2	आवेदन प्रपत्र भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 02.01.2025 समय 01:00 बजे तक, उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय उज्जैन
3	आवेदन प्रपत्र के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय उज्जैन में दिनांक 02.01.2025 एवं समय 02:00 बजे
4	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	ई.एम.डी राशि रु. 10,000=00 (दस हजार मात्र) का डी.डी. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन पेयबल एट उज्जैन के नाम से देय हो।
5	आवेदन प्रपत्र का मूल्य	रुपये 500/- (पांच सौ मात्र)
6	आवेदनकर्ता आवश्यक अर्हता	प्रपत्र क्र. 01
7	वितरक कार्य हेतु आवेदन पत्र	प्रपत्र क्र. 02
8	वितरक कार्य की आवश्यक शर्तें	प्रपत्र क्र. 03
9	प्रस्तावित स्थलों की जानकारी	प्रपत्र क्र. 04
10	शपथ-पत्र	प्रपत्र क्र. 05 व 06
11	अनुबंध पत्र का प्रारूप	प्रपत्र क्र. 07

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- प्रपत्र क्रमांक 01 “आवेदनकर्ता की आवश्यक अर्हताएं” प्रपत्र क्रमांक 02 “वितरक कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र” एवं प्रपत्र क्रमांक 03 “वितरक कार्य की शर्तें” की एक बंद लिफाफे में रखे लिफाफे पर लिफाफा A अंकित करें।
- लिफाफा A एक अन्य लिफाफे में रखें एवं उस लिफाफे पर प्रतिभागी आवेदनकर्ता अपना नाम, पता एवं जिस स्थान हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं स्पष्ट रूप से अंकित कर दुग्ध संघ कार्यालय में दिनांक 22.01.2025 को दोपहर 1:00 बजे तक जमा करें। वितरक कार्य हेतु सभी आवश्यक अर्हताएं सफल पाये जाने पर चयन प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
उज्जैन म.प्र.

महोदय,

उज्जैन दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण विपणन में..... शहर/क्षेत्र में साँची दूध वितरक हेतु दिनांक..... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित अभिरुचि की अभिव्यक्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरा आवेदन नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

क्रमांक	आवश्यक अहर्ताएं	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1.	आवेदनकर्ता का नाम (कम्पनी/फर्म/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व)		आवेदनकर्ता का नाम (कम्पनी/फर्म/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) अंकित करें।
2	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य हैं।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
3	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो तथा किसी भी संस्थान द्वारा पुलिस थाने/मा.न्यायालय में वर्तमान में कोई प्रकरण लंबित न हो।		तदाशय का शपथ पत्र रु.100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र के प्रपत्र 04 में प्रारूप संलग्न हैं। जिसे पढ़कर स्टॉम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
4	आवेदनकर्ता को (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करें।		तदाशय की आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करें।
5	आवेदनकर्ता को (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 02 एवं 03 भरकर संलग्न करें।		तत्संबंध में आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 नियम एवं शर्तें एवं प्रपत्र क्र. 03 संलग्न करें।
6	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) ईएमडी राशि रु.10000/- की डीडी/बैंकर्स चैक संलग्न करें।		आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) ईएमडी राशि रु. 10000/- बतौर ईएमडी राशि डीडी/बैंकर्स चैक जो कि पेयबल एट "उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम से देय होगी, संलग्न करें।

नोट:- 1. उक्त समस्त दस्तावेजों की आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा ईएमडी राशि की डीडी/बैंकर्स चेक यथा आवेदन पत्र के क्रय मूल्य की रसीद संलग्न करना अनिवार्य हैं। दस्तावेज स्वप्रमाणित न पाए जाने पर ऐसे आवेदनकर्ता अमान्य घोषित होंगे।

2. उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसी निविदाएँ अमान्य घोषित होंगी।

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

मोबाईल नम्बर -----



दूध एवं दुग्ध वितरक कार्य हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

1. आवेदनकर्ता का नाम —
(फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप फर्म/एकल स्वामित्व)
2. पिता/पति का नाम —
3. स्थाई पता (प्रमाण सहित) —
.....
दूरभाष नं. /मोबाईल नं. —
4. E- mail id
5. वितरक कार्य हेतु प्रस्तावित स्थान का नाम—
6. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें).....
7. (अ) पेन नंबर
(ब) आधार कार्ड नंबर
8. आवेदक/फर्म का नाम /यदि —
फर्म पार्टनरशिप है ता पार्टनरशिप
फर्म की पूर्ण जानकारी

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

दूध वितरक कार्य हेतु नियम एवं शर्तें :-

1. प्रतिभागी आवेदनकर्ता आवेदन पत्र के प्रपत्र क्र.02 कडिका क्र.05 अनुसार जिस स्थान पर वितरक कार्य करना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से स्थान का नाम अंकित करें। शब्दों में भिन्नता अथवा अस्पष्टता होने की स्थिति में ऐसे आवेदन अमान्य घोषित होंगे। अलग-अलग स्थानों के लिये पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। यदि आवेदनकर्ता का नियमानुसार 01 से अधिक स्थानों पर चयन होता है तो ऐसी स्थिति में पात्र आवेदनकर्ता को यह स्पष्ट करना होगा की वितरक कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।
2. प्रतिभागी आवेदनकर्ता को आवश्यक अर्हताओं अंतर्गत वितरक कार्य हेतु रु.10000/-की डीडी/बैंकर्स चैक जो कि पेयबल एट "उज्जैन दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन" के नाम से देय होगा, बतौर ईएमडी राशि के रूप में प्रस्तुत करना होगा। बिना ईएमडी राशि के आवेदन पत्र अमान्य होंगे।
3. ऐसे प्रतिभागी आवेदनकर्ता जिनका नियमानुसार वितरक कार्य हेतु चयन नहीं हुआ है। ऐसे प्रतिभागी आवेदनकर्ता (असफल प्रतिभागी आवेदनकर्ता) की ईएमडी राशि एक माह के पश्चात् वापस की जाएगी।
4. **चयन प्रक्रिया :-**
दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक कार्य हेतु किसी भी स्थान पर केवल एक ही आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन संबंधी दस्तावेजों का (आवश्यक अर्हताएँ) परीक्षणोंपरांत सफल पाये जाने पर कार्य आवंटित किया जाएगा तथा किसी भी स्थान में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक अर्हताओं के परीक्षण उपरांत पात्र आवेदनकर्ताओं का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से होगा।
5. **प्रतिभूति राशि :-**
सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में रु.1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रुपये मात्र) नगद अथवा डीमांड ड्राफ्ट पेयबल एट "उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन" के नाम से देय होगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वितरक/आवेदक की नियुक्ति के पश्चात् समय-समय पर दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय वृद्धि के आधार पर प्रतिभूति राशि में वृद्धि की जाएगी। जो कि वितरक (आवेदक) पर बंधनकारी होगी। सफल आवेदनकर्ता (वितरक) की ईएमडी राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन किया जाएगा।
6. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) का आवेदन नियमानुसार स्वीकृत होने के उपरांत अनुबंध का निष्पादन रु.1000/-के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर दो जमानतदार के साथ जिसमें एक शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का वेतन स्लिप जो कि संबंधित विभाग अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित हो मय आधार कार्ड, फोटो सहित जमा करेंगे। इसी तरह एक प्राइवेट कर्मचारी के आधार कार्ड, फोटो सहित एक माह में जमा करेंगे। अन्यथा निर्धारित समय में औपचारिकताएं पूरी न करने की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
7. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को वितरक कार्य हेतु दूध की मांग अपरान्ह 2:00 बजे तक स्वयं के नाम से ऑन लाईन के द्वारा प्रतिदिन ईआरपी एप पर देना होगी। दुरभाष एवं तय समय के उपरांत मांग स्वीकार योग्य नहीं होगी। सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को एप के माध्यम से डिमाण्ड देने के लिए प्रशिक्षण दुग्ध संघ द्वारा दिया जाएगा तथा वह अपने अधिनस्थ पार्लर/बूथ/रिटेलर्स को एप के माध्यम से दूध एवं दुग्ध उत्पादों की डिमाण्ड देने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। दूध एवं दुग्ध उत्पादों की

डिमाण्ड दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित एप के माध्यम से ही स्वीकार होगी। अतिविशेष स्थिति में अन्य माध्यम से डिमाण्ड स्वीकार की जा सकेगी।

8. वितरक को प्रतिदिन उसकी मांग के अनुसार दुग्ध संघ के अनुबंधित परिवहनकर्ता दूध एवं दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जावेगा। अतः प्रदायगी के समय सफल आवेदनकर्ता (वितरक) दूध के पैकेट्स एवं क्रेट्स की जांच, परख व गिनती अच्छे से करें प्रदायगी के पश्चात् दूध के पैकेट्स एवं क्रेट्स कम पाए जाने पर हुई हानि की जिम्मेदारी सफल आवेदनकर्ता (वितरक) की होगी। सफल आवेदनकर्ता (वितरक) खाली क्रेट प्रतिदिन वापस सफल आवेदनकर्ता (वितरक) परिवहनकर्ता को वापिस करेंगे तथा लेखा-जोखा संधारित करें।
9. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) उनके अधीनस्थ दूध विक्रय एजेंटों को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित विक्रेता दरों पर ही दूध विक्रय करेंगे। निर्धारित दरों से अधिक दर पर विक्रय करते पाए जाने पर अनुबंध की शर्त अनुसार कार्यवाही की जावेगी जो कि वितरक को मान्य होगी।
10. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को अपने स्तर पर एवं स्वयं के व्यय से भी समय-समय पर प्रचार-प्रसार सामग्रीयों का मुद्रण एवं निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु पृथक से दुग्ध संघ द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा।
11. चयनित आवेदक को अवंटित क्षेत्र में स्वयं के स्तर से नवीन विक्रय पाइंट खोलने होंगे। उक्त क्षेत्र में पूर्व से कार्यरत वितरक द्वारा खोले गए विक्रय पाइंट/अधिकृत एजेंसी में दूध प्रदायगी नहीं करेगा।
12. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को दूध वितरक कार्य हेतु प्रतिदिन प्रदायित दूध की राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में नियमित रूप से जमा करेंगे अन्यथा राशि जमा न करने की दशा में दूध की प्रदायगी बाधित होगी। जिसकी जिम्मेदारी वितरक की होगी।
13. **वितरक की अनुबंध अवधि :-**
वितरक की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर वितरक का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक-एक वर्ष निरंतर अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाए जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय उज्जैन दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
14. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को कार्य आदेश जारी होने के उपरांत अविलंब दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा, वितरक कार्य आदेश जारी होने के उपरांत कतिपय कारणों से वितरक कार्य प्रारंभ नहीं कर पाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा लिया गया निर्णय सर्वोपरि होगा।
15. यदि सफल आवेदनकर्ता (वितरक) कार्य प्रारंभ करने के पश्चात् अथवा अनुबंध अवधि में इस कार्य को करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं तो उसे अनुबंध की शर्त क्रमांक 18 में वर्णित नियमों के अंतर्गत दुग्ध संघ प्रबंधन को कार्य छोड़ने हेतु एक माह की लिखित में अग्रिम सूचना देना होगी। अन्यथा नियमानुसार सूचना न देने पर वितरक के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी जो कि वितरक को मान्य होगी।
16. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को दूध एवं दुग्ध पदार्थ के विक्रय लक्ष्य निर्धारित होंगे। जिसे उसे पूरा करना होगा। प्रत्येक तीन माह में लक्ष्यों की समीक्षा की जावेगी, लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त न होने पर वितरक को आगामी तीन माह में लक्ष्यों की पूर्ति करनी होगी। छः माह के पश्चात् भी यदि वितरक द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा लिया गया निर्णय सर्वोपरि होगा।

17. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को दूध के विक्रय लक्ष्य 120 लीटर एवं दूध उत्पाद के रशि रु. 2000/- का विक्रय लक्ष्य प्रतिदिन निर्धारित किये गये हैं। जिसे सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं प्रत्येक वर्ष इसमें 10% वृद्धि करना होगा।
18. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से अभद्रता/अनुशासनहीनता नहीं करेंगे अन्यथा ऐसी स्थिति निर्मित होने की दशा में प्रकरण की जांच में सही पाये जाने पर दूध वितरक कार्य निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
19. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) प्रतिस्पर्धी ब्रांडों का दूध एवं दुग्ध पदार्थ का विक्रय/वितरण नहीं करेंगे अन्यथा औचक निरीक्षण के दौरान ऐसा करते पाए जाने पर पंचनामें एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया रु.10,000/- का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जाएगा। इसके पश्चात् पुनरावृत्ति होने पर वितरक कार्य निरस्त किया जाएगा। जो कि सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को मान्य होगा।
20. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) अपने स्तर से भी दूध विक्रय एजेंट तैयार करेंगे एवं विक्रय एजेंट को दुग्ध संघ की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अधिकृत करावेंगे।
21. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) अपना आवंटित कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेंगे। अनुबंध अवधि में ऐसा करते पाए जाने पर सफल आवेदनकर्ता (वितरक) के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। जो कि उसे मान्य होगी।
22. प्रतिभागी आवेदनकर्ता दूध वितरक कार्य हेतु वितरक मार्जिन/विक्रेता मार्जिन एवं आवेदन भरने से संबंधित जानकारी तथा वितरक कार्य के संबंध में जानकारी किसी भी कार्यालयीन दिवस में आवेदन खुलने के दो दिवस पूर्व तक ग्रामीण विपणन शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।
23. सफल आवेदनकर्ता (वितरक) को चालू खाते का धनादेश विपणन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। अपरिहार्य स्थिति में दुग्ध संघ को वितरक से किसी भी मद में बकाया राशि लेनी होगी तो उक्त धनादेश (चेक) के माध्यम से वसूली की जाएगी। धनादेश जमा न करने की स्थिति में कार्य आदेश जारी किया जाना संभव नहीं होगा।
24. किसी भी आवेदन अथवा समस्त आवेदनों को सकारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय उज्जैन दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
25. सफल आवेदनकर्ता को (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) चालू खाते से दूध विक्रय की राशि जमा करना अनिवार्य होगा। कतिपय कारणों से वितरक अपने खाते से यदि राशि ऑनलाइन जमा नहीं कर पाते हैं तो उसे डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि पेयबल एट "उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन" के नाम देय होगा प्रस्तुत करना होगा अथवा नगद राशि दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि स्थिति में दूध की प्रदायगी बाधित होगी।
26. आवेदनकर्ता की अनुबंध अवधि में मृत्यु हो जाने पर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसके द्वारा घोषित किए गए उत्तराधिकारी वितरक कार्य अनुबंध अवधि में हस्तांतरित किया जा सकेगा। यदि उत्तराधिकारी अनुबंध की शर्तों के तहत वितरक कार्य नहीं करना चाहता हैं तो उसे वितरक (मृतक) का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रु.100/-के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात् ही मृतक (वितरक) की दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति रशि, यदि कोई बकाया राशि शेष रहती हैं तो उसका प्रतिभूति राशि में से अंकेक्षण उपरांत कटौती कर शेष राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ के अनुमोदन उपरांत उसके उत्तराधिकारी को वापसी योग्य होगी।
27. वितरक कार्य हेतु अनुबंध की शर्तों का प्रारूप जो कि प्रपत्र क्रमांक '07' पर संलग्न हैं। केवल अवलोकन के लिए संलग्न किया गया हैं। जिसे प्रतिभागी आवेदनकर्ता पढ़ सकते हैं। यह अनुबंध पत्र

- केवल सफल आवेदनकर्ता को कार्य आवंटित होने के पश्चात् दुग्ध संघ के साथ निष्पादित कर प्रस्तुत करना होगा। अतः प्रतिभागी आवेदनकर्ता इस अनुबंध पत्र को आवेदन पत्र के साथ संलग्न न करें।
28. वितरक कार्य हेतु आवेदन पत्र खोलने की कार्यवाही दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित नियत समय एवं तिथि में प्रतिभागी आवेदनकर्ता/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष की दुग्ध संघ के सभा कक्ष में की जाएगी। यदि किसी भी स्थान में भाग लिए गए प्रतिभागी आवेदनकर्ता/उनके प्रतिनिधी चयन प्रक्रिया के समय कतिपय कारणों से उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा लिया गया निर्णय सर्वोपरी होगा। जो कि प्रतिभागी आवेदनकर्ता को मान्य होगा।
29. प्रतिभागी आवेदनकर्ता, वितरक कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ की वेबसाइट www.sanchidairy.com से डाउनलोड करें एवं आवेदन पत्र की दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित क्रय मूल्य राशि रु.500/-की डीडी/बैंकर्स चेक जो की पेयबल एट उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम से देय होगा तैयार करें तथा आवेदन पत्र में मांगे गये समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न कर मय ईएमडी राशि सहित उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ कार्यालय में भौतिक रूप से नियत समय एवं तिथि पर जमा करें। नियत समय एवं तिथि के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
30. सफल आवेदनकर्ता को उसकी नियुक्ति के पश्चात् एफएसएसआई, जीएसटी, स्वयं की दुकान/कार्यालय होने की दशा में उक्त के दस्तावेजों की छायाप्रति म.प्र. दुकान अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान के पंजीयन की प्रति, दुकान की रंगीन फोटो (लोकेशन का जीपीएस लोकेशन के साथ) एक माह के अंदर विपणन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
31. आवेदनकर्ता जिन स्थानों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं। उसकी सूची आवेदन पत्र के प्रपत्र क्र. 05 में संलग्न की गई हैं।
32. सफल आवेदनकर्ता को उसकी नियुक्ति के पश्चात् वितरक कार्य हेतु समस्त औपचारिकताएं एक माह के अंदर पूरा करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात् औपचारिकताएं पूरी नहीं करने की स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।
33. **घोषणा :-**
मेरे/हमारे द्वारा वितरक कार्य की सभी नियम एवं शर्तों को भलीभांती अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़कर समझ लिया गया है एवं मुझे/हमें कार्य की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मेरे/हमारे द्वारा कोई भी शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो मेरे/हमारे विरुद्ध उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा एवं इस हेतु मैं/हम अपनी सहमति देते हैं।

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक कार्य हेतु प्रस्तावित स्थलों की सूची

उज्जैन जिला	रतलाम जिला	मंदसौर जिला
1.नजरपुर 2.झार्डा	1.नामली 2.रावटी	1.शामगढ़ 2.गरोठ 3.भानपुरा 4.नारायणगढ़ 5.दालौदा 6.बोलियां



दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का

शपथ पत्र का प्रारूप
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

उज्जैन दुग्ध संघ द्वाराशहर/क्षेत्र में साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। मेरेशहर/क्षेत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं उज्जैन दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

शपथ-पत्र (केवल रु.100/-के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें।

मैं/हम..... पिता/पति..... आयु.....
निवासी..... यह कि मुझे/हमें कभी एमपीसीडीएफ
भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा
ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है साथ ही शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया
है तथा मेरा/हमारा वर्तमान में किसी भी न्यायालय, पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं
है/चल रहा है।

यदि इस संबंध में किसी भी समय वचन/शपथ पत्र गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ प्रबंधन
मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा एवं इस हेतु मैं/हम.....
..... उपरोक्तानुसार अपनी सहमति देते हैं।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे
निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

अनुबंध प्रपत्र

यह अनुबंध आज दिनांकको लिखा गया जिसका प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अथवा इस पद पर आने वाले पदाधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती...../ प्रोप्रायटर मेसर्स..... है।

प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष कोशहर/क्षेत्र के लिए साँची दुग्ध का वितरक निम्नानुसार शर्तों पर नियुक्त करना स्वीकार किया है।

संलग्न परिशिष्ट "02" इस अनुबंध का एक भाग है, जिसे वितरक हेतु शर्तें कहा जावेगा, उक्त शर्तों में जहां – जहां दुग्ध संघ शब्द आवेगा, उसका अर्थ उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन से होगा एवं इसकी समस्त शर्तें दोनों पक्षों के लिए लागू रहेगी।

वितरक से तात्पर्यसे होगा, जिसे आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है। यह ठेका प्रारंभ दिनांकसे तीन वर्ष की अवधि हेतु अर्थात् दिनांकतक प्रभावशील रहेगा।

1. वितरक को रुपये पैसे प्रतिलीटर वितरक मार्जिन दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी मद में वितरक को कोई अतिरिक्त मार्जिन या व्यय अनुबंध अवधि में नहीं दिया जावेगा। दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर वितरक मार्जिन को संशोधित करने पर वितरक पर बंधनकारी होगा।
2. वितरक को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद रिटेलरों को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की प्रदायगी उनके निर्धारित दुकान पर स्वयं के वाहन से करनी होगी। स्थानीय दूध वितरण कार्य में आवश्यकतानुसार वाहनों की व्यवस्था भी करनी होगी। जिसका अलग से कोई परिवहन व्यय नहीं दिया जावेगा।
3. वितरक द्वारा वितरण हेतु लगाये जाने वाले वाहनों के आवश्यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध/रजिस्ट्री/वाहन रजिस्ट्रेशन तथा वाहनों पर कार्यरत वाहन चालक/हेल्पर की जानकारी हेतु आधार कार्ड एवं ड्रायविंग लायसेन्स की छायाप्रति भी जमा करवाने होंगे।
4.शहर/क्षेत्र के समस्त कॉलोनियों/मोहल्लों में स्थित साँची रिटेलर्स को निर्धारित समय एवं स्थान पर दूध वितरित किया जाएगा, तथा प्रतिदिन सुबह एवं शाम दोनों पालियों में अनिवार्य रूप से प्रदायगी करनी होगी।
5. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्यरत रिटेलर्स को/ऐसे क्षेत्र जहां दुग्ध संघ द्वारा दूध प्रदायगी की जा रही है में वितरक को अनिवार्य रूप से दूध प्रदाय करना होगा।
6. वितरक को शहर/क्षेत्र में एक कार्यालय खोलना होगा तथा इस कार्यालय में समस्त आवश्यक विपणन संबंधी अधोसंरचना स्थापित करना होगी तथा न्यूनतम 20 लीटर दूध प्रतिदिन डी-फ्रीजर में स्टॉक रखना अनिवार्य होगा।

7. दुग्ध संघ द्वारा वितरक को दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरण करने, हेतु समस्त रिटेलर्स से पृथक-पृथक मांग प्राप्त कर समेकित कर डेयरी संयंत्र मंदसौर में प्रस्तुत करना होगा तथा दुग्ध संघ द्वारा रिटेलरों या उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले मार्जिन, अग्रिम कार्ड छूट या अन्य प्रोत्साहन योजना को यथावत पास ऑन करना होगा।
8. वितरक को दुग्ध संघ में प्रतिभूति/अमानत राशि मद में RTGS/D.D. के माध्यम से नगद राशि रु. 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रु. मात्र) जमा करना होगी। जिस पर दुग्ध संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। भविष्य में दुग्ध विक्रय में वृद्धि होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति राशि संघ में जमा करनी होगी।
9. वितरक को दैनिक रूप से दुग्ध विक्रय के विरुद्ध राशि संबंधित रिटेलर्स से स्वयं वसूल करना होगी।
10. वितरक को प्रतिदिन दुग्ध विक्रय राशि (सुबह शाम मिलाकर) का भुगतान आरटीजीएस (ई-पेमेन्ट) के माध्यम से अग्रिम जमा करना होगा। ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर दुग्ध प्रदाय किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति जैसे – इंटरनेट बैंकिंग के सर्वर डाउन होने, आदि की स्थिति में वितरक की संघ में रेखांकित (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। धनादेश देकर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। धनादेश बाउंस होने पर संघ के नियम अनुसार रुपये 1000/- प्रतिदिन अर्धदण्ड सहित संपूर्ण राशि दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। राशि जमा न करने की स्थिति में दुग्ध संघ वितरक पर कानूनी कार्यवाही मय हर्जे-खर्चे के साथ करने हेतु स्वतंत्र होगा, तथा बाउंस धनादेश के तहत भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। या उसके द्वारा रखी गई जमानत राशि/बैंक ग्यारंटी फिक्स डिपॉजिट/ग्यारंटर से अलग-अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अवकाश की स्थिति में अवकाश दिवसों की प्रदायगी की धनराशि भी अग्रिम रूप से जमा करनी होगी। यह भुगतान चेक/आरटीजीएस के माध्यम से संघ द्वारा प्राप्त किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में वितरक द्वारा संघ के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर नगद राशि भी संघ में जमा की जा सकेगी। संघ द्वारा बताई गई बैंकों की सूची में से किसी एक बैंक में वितरक को वित्तीय व्यवहार के लिए खाता खोलना अनिवार्य होगा। रिटेलरों से राशि वसूलने की कोई भी जिम्मेदारी दुग्ध संघ की नहीं होगी।
11. दुग्ध संघ द्वारा वितरक को कार्य प्रारंभ करने पर विक्रय मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए 40 क्रेटस की नगद धनराशि दुग्ध संघ में क्रेट लेखा मद में सुरक्षा निधी के रूप में जमा करानी होगी। विक्रय में वृद्धि होने पर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त राशि नगद दुग्ध संघ में क्रेट मद में जमा करनी होगी।
12. वितरक द्वारा जितने क्रेट दुग्ध प्रदाय हेतु लिये जाएंगे उतने ही क्रेट दैनिक रूप से दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा तथा वितरक द्वारा अपने दस्तावेज लाकर क्रेटों का मिलान प्रत्येक 10 दिवस में दुग्ध संघ के रिकॉर्ड से किया जाएगा।
13. वितरक को शाम पाली की मांग दैनिक रूप से दिन के 11 बजे तक एवं अगले दिन की प्रातः पाली की मांग शाम की 3 बजे तक संघ को अवगत कराना होगी। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में यदि मांग में वृद्धि की जाना है तो वितरक कार्यालय से सहमति लेने के उपरांत ही मांग की पुष्टि कर सकेगा। दुग्ध संघ स्तर से पूरे प्रयास किये जाएंगे कि वितरक को मांग अनुसार दूध प्रदाय किया जा सके। किन्तु किन्हीं

अपरिहार्य कारणों से यदि संघ द्वारा मांग अनुसार दूध प्रदाय संभव नहीं हो पाता है तो दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी।

14. दुग्ध संघ स्तर से दूध की बिलिंग, वितरक मार्जिन एवं फुटकर विक्रेता का मार्जिन काटकर ही की जावेगी एवं वितरक द्वारा रिटेलर/फुटकर विक्रेता को उनका मार्जिन कम कर ही राशि प्राप्त की जावेगी। इस प्रकार फुटकर विक्रेता को दैनिक रूप से उनके द्वारा विक्रय किये गये दूध का रिटेलर मार्जिन प्राप्त हो सकेगा।
15. दुग्ध संघ द्वारा संस्थाओं को सीधे प्रदाय किये गये दूध की मात्रा पर वितरक मार्जिन दिया जाएगा। यदि दुग्ध संघ द्वारा प्रदायित मात्रा तथा संस्था को प्राप्त मात्रा में कोई भिन्नता/कमी होती है तो कम मात्रा की धनराशि वितरक से वसूल की जाएगी।
16. यदि वितरक द्वारा दिये गये चेक बैंक द्वारा किसी भी कारण से अनादरित कर बिना भुगतान के वापस किये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा तत्काल उसकी सूचना वितरक को मोबाईल/या दूरभाष पर ही दी जावेगी तथा वांछित राशि वितरक द्वारा तत्काल दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। साथ ही प्रत्येक अनादरित चेक के लिए राशि रुपये 1000/- अर्थदण्ड सहित दुग्ध संघ कार्यालय में आरटीजीएस के माध्यम से जमा कराना होगी।
17. वितरक द्वारा प्रदाय चेक केवल तकनीकी कारणों को छोड़कर माह में तीन या उससे अधिक बार अनादरित होते हैं तो संक्षिप्त समीक्षा कर वितरक कार्य आवंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
18. किन्हीं भी कारणों से वितरक को कार्य छोड़ने हेतु एक माह पूर्व (30 दिवस) का नोटिस देना अनिवार्य होगा। नोटिस अवधि में संघ द्वारा पुनः आवेदन आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। किन्तु आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने तक दुग्ध संघ द्वारा निर्देशित करने पर वितरक को यथावत कार्य करना होगा। इसी प्रकार उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा वितरक को 30 दिवस का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताएं हटा दिया जा सकेगा।
19. वितरक के पास पेन कार्ड नम्बर, जीएसटी नम्बर एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस एवं इस कार्य से संबंधित वर्तमान में लागू या भविष्य में शासन द्वारा लागू किये गये समस्त वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।
20. आवेदन की शर्तों/अनुबंधों में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर वितरक को बिना कोई अग्रिम सूचना दिए संघ द्वारा हटाया जा सकेगा एवं यदि संघ उचित समझेगा तो वितरक की अमानत राशि राजसात की जायेगी।
21. वितरक की कार्यावधि प्रथमतः तीन वर्ष होगी एवं कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष कर दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

22. किसी भी दशा में यदि दुग्ध संघ द्वारा किसी रिटेलर की आपूर्ति बन्द कर दी जाती है तो वितरक का यह दायित्व होगा कि उस क्षेत्र के नियमित उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति हेतु तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उसी क्षेत्र में करें। यदि वितरक द्वारा किसी भी पॉलर/एजेन्सी की प्रदायगी बन्द की जाती है तो प्रदायगी बन्द करने के पूर्व दुग्ध संघ को इसका कारण बताना होगा तथा दुग्ध संघ की बिना पूर्व अनुमति के प्रदायगी बन्द नहीं की जा सकेगी।
23. वितरक को प्रतिमाह रिटेलरवार प्रतिदिन की विक्रय होने वाले दूध की मात्रा का माह में औसत विक्रय रिपोर्ट विक्रय केन्द्रों से प्राप्त कर दुग्ध संघ के प्रत्येक माह की 10 तारिख तक प्रस्तुत करना होगा।
24. शहर में समय समय पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम, मेला प्रदर्शनी आदि आयोजनों में लगने वाले दूध की मांग यदि संघ को सीधे प्राप्त होती है तो संघ द्वारा निर्धारित विशेष रियायती दरों पर दूध प्रदाय वितरक एवं संबंधित रिटेलर के माध्यम से की जाएगी, संबंधित आयोजनकर्ता/संस्था से संघ द्वारा निर्धारित छूट देते हुए वितरक/रिटेलर को भुगतान प्राप्त करना होगा। अन्यथा संघ द्वारा बिलिंग/प्रदायगी सीधे करने पर वितरक एवं रिटेलर को ऐसी प्रदायगियों पर कोई मार्जिन भुगतान नहीं किया जावेगा।
25. वितरक दुग्ध संघ से निर्धारित वितरक पैकेज पर साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद एक्स नीमच पर उसकी मांग अनुसार विक्रय हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाय में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरियल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हड़ताल, भुक्प आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे साँची दूध की उपलब्धता नहीं करा पाता है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाएगा।
26. कार्य आवंटन उपरांत अनुबंध अवधि में यदि वितरक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्य को आगे जारी रखने एवं समस्त दायित्वों को निर्वहन करने के लिए वितरक को विधि अनुसार उत्तराधिकारी नामित करना होगा। यदि वह उत्तराधिकारी दुग्ध संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। इसके लिए वितरक को उत्तराधिकारी करने हेतु सहमति देता है। इसके लिए वितरक को उत्तराधिकारी के फोटो एवं उनसे संबंध आदि सम्पूर्ण विवरण का नोटरी किया हुआ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
27. वितरक को दूध प्राप्त करते समय प्रत्येक दृष्टि से उसकी जांच परख सुनिश्चित करना होगा। प्रदाय होने के पश्चात लीकेज/कम मात्रा अथवा क्रेट की जवाबदारी वितरक की होगी।
28. दुग्ध संघ को किसी भी अन्य पार्टी/वितरक/रिटेलर/संस्था/होटल/केन्टीन शादी समारोह में सीधे भी दूध प्रदाय करने का अधिकार होगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरक द्वारा दुग्ध संघ हित में कार्य नहीं किये जा रहे हैं तो दुग्ध संघ द्वारा सीधे रिटेलर्स को दूध प्रदाय करने का एकाधिकार सुरक्षित है। आवश्यकता पड़ने पर समस्त नीमच शहर एवं शहर के बाहर भी वितरक से साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय कराया जा सकेगा।
29. वितरक का कार्य आवंटन अहस्तांतरणीय होगा। यदि कार्य अवधि में किसी भी समय यह पाया जाता है कि वितरक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी अथवा संस्था आदि को हस्तांतरित किया है तो दुग्ध संघ द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल वितरक का कार्य आवंटन एवं अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।

30. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के संबंध में कोई विवाद खड़ा हुआ तो उसे मध्यस्थता (Arbitrator) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
31. इस अनुबंध को न्यायिक कार्यक्षेत्र उज्जैन शहर का न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक की आपसी रजामंदी के तहत दिनांकको निष्पादित किया गया है।
32. वितरक द्वारा नीमच शहर में स्थित साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के समस्त रिटेलर्स को (जिनकी संख्या दुग्ध संघ अपनी आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकता है) साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, निर्धारित दर एवं समयावधि में उपलब्ध करना सुनिश्चित करेगा।
33. वितरक की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय नॉमिनेशन प्रदान किया जाना आवश्यक है।
34. दुग्ध संघ डेयरी डॉक उज्जैन/रतलाम/मंदसौर से पैकड साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद क्रेट में रखकर देगा।
35. दुग्ध संघ द्वारा वितरक को दुग्ध विक्रय हेतु विक्रय लक्ष्य दिये जाएंगे, जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। वितरक को न्यूनतम 10 प्रतिशत की औसत वार्षिक विक्रय वृद्धि किया जाना होगा अन्यथा संक्षिप्त समीक्षा कर दुग्ध संघ हित में अनुबंध निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
36. नेटवर्क स्थापित करने हेतु वितरक को कम से कम 2 विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय परशहर/क्षेत्र हेतु रखना होगा, जिनका कार्य शहर/क्षेत्र में प्रतिदिन निरीक्षण कर नवीन एजेन्सी प्रारंभ करना होगा।
37. वितरक को शहर/क्षेत्र की समस्त शासकीय संस्थानों से मांग प्राप्त कर दूध प्रदाय करना होगा। साथ ही शासकीय संस्थानों को समय पर देयक प्रेषित कर भुगतान दुग्ध संघ के खाते में आरटीजीएस करवाना होगा। इस हेतु वितरक को सम्पूर्ण वितरक पैकेज प्रदाय किया जावेगा।
38. वितरक शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्णरूपेण जवाबदार होगा, तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय-समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्णरूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरुद्ध की जा सकेगी।
39. वितरक से जो भी बकाया राशि/अर्थदण्ड की राशि वसूली किया जाना आवेदन प्रपत्र/अनुबंध की शर्तों में प्रस्तावित/प्रावधानित है की वसूली वितरक से धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी जमानत राशि से की जाएगी।
40. वितरक को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद प्राप्त करते समय पैकेट की जाँच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात किसी भी प्रकार की लीकेज मान्य नहीं होगा।

41. वितरक प्रतिमाह समस्त रिटेलर्स को 10 तारिख तक उनके द्वारा विक्रय की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा-जोखा उपलब्ध करवायेगा तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य से उपलब्ध कराएगा।
42. अनुबंधित अवधि में वर्तमान में निर्धारित मार्गों के दुग्ध विक्रय के संबंध में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया के अन्तर्गत वितरक के मार्गों के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा तथा रिटेलर्स की संख्या बढ़ाने पर सभी रिटेलर्स को प्रदाय करना होगा।
43. वितरक को शासन द्वारा जारी फूड लायसेंस लेना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। वितरक को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवंटित मार्ग पर स्थित सभी रिटेलर्स से भी फूड लायसेंस की कॉपी लेना होगी। अगर किसी रिटेलर्स के पास फूड लायसेंस न हो तो उसे दूध एवं दुग्ध उत्पाद की प्रदायगी नहीं की जावेगी।
44. आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन की समस्त शर्तें एवं दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर जारी पत्र/परिपत्र भी इस अनुबंध का भाग माने जाकर वितरक पर बंधनकारी होंगे।
45. वितरक अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही वितरकको करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
46. उपरोक्त शर्तों के पालन में तथा संघ द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का द्वितीय पक्षकार द्वारा पालन करना होगा अन्यथा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को रहेगा।
47. वितरक को दुग्ध संघ में आवेदन स्वीकृति सूचना उपरांत रु..... पैसे प्रति लीटर वितरक मार्जिन दिया जायेगा जो कि समयानुसार/प्रबंधन के निर्देशानुसार परिवर्तनशील है।
48. टंकण त्रुटि के कारण अनुबंध की शर्तों की अस्पष्टता अर्थात् शर्तों को स्पष्ट करने, शर्तों को हटाने एवं जोड़ने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय का होगा।
49. यह कि नीमच शहर में श्री/मेसर्स साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक के रूप मेंपैसे प्रतिलीटर (समस्त कर, एवं व्यय सहित) पर कार्य करेंगे।

मै. पिता/पति/पत्नि..... वितरकनीमच शहर अपना
उत्तराधिकारी, (नामिनी), श्री/श्रीमती को घोषित करता हूँ।

यह अनुबंध पत्र उभय पक्ष ने स्वेच्छा से दिनांक को हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है। अनुबंध अवधि की समाप्ति तक प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार द्वितीय पक्ष द्वारा संतोषप्रद कार्य करने पर "नोड्यूज" प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा सभी प्रकार के देयकों की वसूली उपरांत प्रथम पक्ष द्वारा अमानत राशि/बैंक ग्यारंटी वापस की जा सकेगी। अनुबंध की किसी भी कंडिका का द्वितीय पक्ष द्वारा पालन न करने पर प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध समाप्त कर अमानत राशि आदि राजसात करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। उभय पक्ष ने यह अनुबंध पत्र की समस्त शर्तें एवं परिशिष्ट भली प्रकार अध्ययन करके स्वेच्छा से संपादित किया है, जो प्रमाण रहें एवं समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ
मर्या. मक्सी रोड़, उज्जैन –
456010

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
साँची दूध वितरक
नाम.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :

पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :.....

पता: